



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION



(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक. / १५ / लेखा / 2016 /

भोपाल, दिनांक १५ जनवरी, 2017

आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये चैकों की वैद्यता अवधि बढ़ाने अथवा चैक खो जाने के कारण नवीन चैक जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि ₹.100/- (रुपये एक सौ) मात्र विश्वविद्यालय के लेखा शाखा में जमा कर रसीद की प्रति प्रस्तुत आवेदन/नस्ती के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने पर ही नवीन चैक प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी।

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव

पृ.क्र. / १५ / लेखा / 2016 /

भोपाल, दिनांक १५ जनवरी, 2017

प्रतिलिपि:-

1. माननीय कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
2. निदेशक, सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएं को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. समस्त शाखा प्रभारियों को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, नोएडा, खण्डवा, ग्वालियर एवं अमरकंटक परिसर को सूचनार्थ।
7. प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. सूचना पटल
9. आदेश पुस्तिका।

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव